प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

2. अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

3. अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/
कुमायूँ मण्डल नैनीताल

4. जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड

पत्रांकः प्रा०शि०–दो(2)/ 3058-62 / 193/2019–20 दिनांकः 21 मई, 2019

विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड में कार्यरत् कार्मिकों (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी) के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रारिम्भक शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या : प्रा0शि0–दो(02)/ 816–26 /193/2019–20 दिनांक : 25 अप्रैल, 2019 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र में विद्यालयी शिक्षा के सुगम/दुर्गम में स्थित कार्यस्थलों में कार्यरत कार्मिकों की कुल सेवा में ठहराव के आधार पर सूची निर्गत कर पात्र कार्मिकों को चिन्हित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि :–

1. स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के क्रम में आप द्वारा कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची प्रकाशित कर ली गई होगी। यदि अभी तक कतिपय कारणों से अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची प्रकाशित नहीं की गई है तो तत्काल सूची प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
2. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से आवेदन पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30 मई, 2019 तक उप शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्राप्त कर लिया जाये।
3. उक्तानुसार विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आवेदन पत्र निम्नवत् संकलित होंगे :–

(क) प्रारिम्भक शिक्षा के कार्यरत शिक्षकों, विद्यालयों/कार्यालयों में कार्यरत परिचारकों के विकल्प पत्र/अनुरोध पत्र मय सूची उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय में संकलित होंगे।

(ख) सहायक अध्यापक (एल0टी0) कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायक के विकल्प पत्र/अनुरोध पत्र मय सूची के विकास खण्ड कार्यालय से जनपद कार्यालय व जनपद कार्यालय के माध्यम से मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0/प्रा0शि0) कार्यालय में संकलित होंगे।

Scanned by CamScanner

(ग) प्रधानाध्यापक हाईस्कूल/प्रधानाचार्य इण्टर कालेज/प्रवक्ता/आशुलिपिक/प्रधान सहायक/प्रशासनिक अधिकारी/व0प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के विकल्प पत्र/अनुरोध पत्र मय सूची के विकास खण्ड कार्यालय से जनपद कार्यालय, जनपद कार्यालय से मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0/प्रा0शि0) कार्यालय तथा मण्डलीय कार्यालय के माध्यम से निदेशालय (मा0शि0/प्रा0शि0) में संकलित होंगे।

(घ) उक्त बिन्दु (3) (क,ख एवं ग) के अनुसार संकलित विकल्प पत्र एवं आवेदन पत्र वांछित प्रमाण–पत्रों सहित अनिवार्यतः सन्दर्भित कार्यालयों में दिनांक 05 जून, 2019 तक उल्लिखित कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।

4. उक्त में निम्न का भी संज्ञान लिया जाय :–

(क) प्रान्तीयकृत विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची तैयार करते समय प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कार्मिकों की सेवा की गणना प्रान्तीयकृत होने की तिथि (राजकीय सेवा में आने की तिथि से) की जाय।

(ख) प्रारम्भिक शिक्षकों के सम्बन्ध में औपबन्धिक रूप से नियुक्त शिक्षकों व शिक्षा मित्रों को स्थानान्तरण प्रक्रिया में सम्मिलित न किया जाय।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत ऐसे अध्यापक जो पूर्व में शिक्षा मित्र अथवा औपबन्धिक सहायक अध्यापक थे, उनकी सेवा की गणना नियमित अध्यापक के रूप में नियुक्त होने की तिथि से की जाय।

नोट :–1. विकल्प एवं अनुरोध पत्र विभाग बेवसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक– आवेदन पत्र व विकल्प पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

भवदीय

(वी॰ एस॰ रावत)
प्रभारी निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ॰सं॰ : प्रा॰शि॰–दो(2)/ 3058-62 / 193 /2019–20 दिनांक उक्तवत्।

1. प्रतिलिपि महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी॰ एस॰ रावत)
प्रभारी निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्शिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17(ङ) के प्राविधानान्तर्गत कार्मिक (शिक्षक/कर्मचारी) के संवर्ग परिवर्तन हेतु आवेदन–पत्र

1. कार्मिक के पद का संवर्ग (विकास खण्ड/जनपद/ मण्डल संवर्ग) :..
2. कार्मिक का नाम :..
3. वर्तमान कार्यरत् विद्यालय/कार्यालय का नाम :..
   विकास खण्ड का नामः.. जनपद का नाम :..
4. विद्यालय/कार्यालय की ID...
5. पदनाम :.. विषय :..
6. संवर्ग परिवर्तन हेतु जिस जनपद/मण्डल में स्थानान्तरण वांछित है का नाम ....
   स्थानान्तरण चाहने का कारण ....
   (निम्नानुसार a या b का उल्लेख करें, प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

a. दो कार्मिकों के मध्य विवाह के आधार पर किसी एक कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण

b. विकास योजनाओं हेतु परिसम्पति अधिग्रहण/दैवीय आपदा के कारण शासन द्वारा अन्यत्र विस्थापित किए गए कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण

नोट : (i). संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि परिवर्तित/नये संवर्ग में कार्मिक को कनिष्ठतम माना जायेगा।

(ii). कार्मिक द्वारा www.educationportal.uk.gov.in से अपने सेवा विवरण का print निकाल कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षर कार्मिकः
नाम एवं पद नाम.....................................

संस्थाध्यक्ष की संस्तुति

(हस्ताक्षर)
नाम :
(संस्था की सील)

खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा कार्मिक.. पदनाम..
विषय................................ विद्यालय/कार्यालय का नाम... के उक्त आवेदन पत्र के दर्शायी गई अंकनाओं का भली भांति जांच कर ली है, एवं कार्मिक संवर्ग परिवर्तन में स्थानान्तरण हेतु पात्र है।

प्रतिहस्ताक्षर

दिनांकः

खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड : जनपदः

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18(3) के अन्तर्गत कार्मिकों (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों/कर्मचारियों) के संवर्ग के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन–पत्र

(पारस्परिक स्थानान्तरण मात्र सुगम क्षेत्र से दुर्गम अथवा दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में एवं केवल अपने ही संवर्ग, समान पद तथा समान विषय में अनुमन्य होगा)

कार्मिक का संवर्ग (जनपदीय/मण्डलीय/राज्य संवर्ग) ....

पारस्परिक स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिक का विवरण					
क्र0 सं0	दोनो कार्मिकों के नाम (जो पारस्परिक स्थानान्तरण चाहते है)	पद नाम व विषय	वर्तमान विद्यालय/कार्यालय का नाम/वि0ख0 का नाम/जनपद का नाम /मण्डल का नाम	विद्यालय/ कार्यालय की श्रेणी	वर्तमान विद्यालय/कार्यालय मे सेवा की अवधि (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मई के अनुसार)
1					
2					

नोटः 1– पारस्परिक स्थानान्तरण चाहने वाले दोनों कार्मिकों के नाम अंकित होना अनिवार्य है।
2– आवेदन पत्र दोनों कार्मिकों द्वारा पृथक–पृथक भरा जायेगा।
3– क्रम संख्या : 1 में आवेदन करने वाले कार्मिक का नाम अंकित होगा व क्रम संख्या : 2 में जिस कार्मिक के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाना है उसका नाम अंकित किया जायेगा।
4– आवेदक शिक्षक/कर्मचारी को विद्यालयी शिक्षा के पोर्टल educationportal.uk.gov.in से अपने सेवा विवरण का print निकाल कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु सहमति :–

1. सहमत

(क्रम संख्या : 01 में अंकित शिक्षक के हस्ताक्षर)

कार्मिक का नाम..पदनाम.............................विषय...

2. सहमत

(क्रम संख्या : 02 में अंकित कार्मिक के हस्ताक्षर)

कार्मिक का नाम..पदनाम.............................विषय...

प्रतिहस्ताक्षरित
(क्रम संख्या–1 में अंकित कार्मिक हेतु)

हस्ताक्षर
संस्थाध्यक्ष
विद्यालय/कार्यालय का नामः

हस्ताक्षर
खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी
विकासखण्ड का नामः
जनपद का नामः

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–9 के अन्तर्गत सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अथवा धारा–12 के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु चिन्हित विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के अधीन राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत् कार्मिकों (शिक्षकों/कर्मचारियों) के संवर्गान्तर्गत इच्छित राजकीय संस्थान/कार्यालयों में पदस्थापना हेतु विकल्प पत्र

1. कार्मिक का नाम ....

2. कार्मिक की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार) ....

3. पदनाम .... विषय..
   (पदनाम में प्र0अ0 प्राथमिक/स0अ0 प्राथमिक /प्र0अ0 जूनियर/स0अ0 जूनियर /स0अ0 एल0टी0/प्रवक्ता/प्रधानाध्यापक हाईस्कूल/ प्रधानाचार्य इण्टर कालेज/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रधान सहायक /वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक / परिचारक आदि का स्पष्ट उल्लेख करें)

4. कार्यरत विद्यालय/कार्यालय का नाम – ....

5. कार्यरत् कार्यालय/ विद्यालय की श्रेणी (सुगम/ दुर्गम) ....

6. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु इच्छित विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन राजकीय संस्थान/कार्यालय के विकल्प–

वरीयता क्रमॉक	संस्थान/कार्यालय का नाम	पदनाम	विकास खण्ड	जनपद का नाम	संस्थान/कार्यालय की श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

नोट– 1. विकल्प केवल संवर्ग के अन्तर्गत के ही प्रस्तुत किये जायें।
2. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु सुगम क्षेत्र में कार्यरत् कार्मिक द्वारा दुर्गम क्षेत्र के संस्थान/कार्यालय का एवं दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत् कार्मिक द्वारा सुगम क्षेत्र के संस्थान/कार्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर कार्मिक
नाम..
पद नाम..

प्रतिहस्ताक्षर

(सक्षम अधिकारी)
नाम..............................
(संस्था की मुहर)

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–13 एवं 17(ख) के अन्तर्गत कार्मिकों (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों/कर्मचारियों) के संवर्ग के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन–पत्र

1. कार्मिक के सेवा संवर्ग का प्रकार : विकास खण्ड स्तर/ जनपद स्तर/ मण्डल स्तर/ राज्य स्तर ....
....

2. कार्मिक (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक/ कर्मचारी) का नाम ....
....

3. कार्मिक की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार) ....

4. पदनाम .... विषय ....
(पदनाम में प्रवक्ता/स0अ0 एल0टी0/स0अ0 प्राथमिक/स0अ0 जूनियर/प्रधानाध्यापक प्राथमिक/ प्रधानाध्यापक जूनियर/प्रधानाध्यापक हाईस्कूल/प्रधानाचार्य इण्टर कालेज का स्पष्ट उल्लेख करें)

5. वर्तमान विद्यालय/कार्यालय का नाम..
(सम्बद्धता की स्थिति में मूल विद्यालय/कार्यालय का नाम लिखें)

6. क्या औपबन्धिक स0अ0 प्राथमिक/शिक्षा मित्र हैं ? यदि हां तो उल्लेख करें अथवा 'नहीं' लिखें ....
....

7. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की पात्रता {निम्नांकित (i) से (vii) तक जो लागू हो उसके सम्मुख ✓ का निशान लगायें} :–

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्रता		
1	2	3
(i)	कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति–पत्नी (यथा लागू) स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–3 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरण {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा–13(4) के अनुसार}	
(ii)	मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार है तथा देखमाल/नित्यक्रिया आदि के लिए पूर्णतः माता–पिता पर निर्भर {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा–13(5) के अनुसार}	
(iii)	सेवारत पति पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा–17(ख)(तीन) के अनुसार}	
(iv)	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत् पति–पत्नी {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा–13(3) के अनुसार}	
(v)	विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यकता एवं तलाकसुधा तथा वरिष्ठ कार्मिक (जिस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया गया है उसका उल्लेख कॉलम–3 में करें) {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा–13(6) के अनुसार}	
(vi)	दुर्गम कार्यस्थल में न्यूनतम 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवा काल में दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दुर्गम में स्थानान्तरण {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा–13(2) के अनुसार}	
(vii)	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण {स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा–13(1) के अनुसार}	

8. स्थानान्तरण हेतु विकल्प (वरीयता अनुसार) –
(विकल्प संवर्ग के अन्तर्गत के ही मान्य होंगे)

वरीयता कमॉक	कार्यालय/विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम	मण्डल का नाम	कार्यालय/विद्यालय की श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1					
2					
3					

Scanned by CamScanner

वरीयता क्रमॉक	कार्यालय / विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम	मण्डल का नाम	कार्यालय / विद्यालय की श्रेणी (सुगम / दुर्गम)
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

नोटः 1– अनुरोध में स्थानान्तरण हेतु जिस पात्रता के अन्तर्गत आवेदन किया गया है, उससे सन्दर्भित प्रमाणपत्र (सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र) (गम्भीर रोग अथवा विकलांगता की स्थिति में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–3 (च) एवं (छ) के अनुसार प्रमाण पत्र) संलग्न करना अनिवार्य हैं।

2– औपबन्धिक स0अ0 प्राथमिक / शिक्षा मित्र स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

3– आवेदक अधिकारी / शिक्षक / कर्मचारी को विद्यालयी शिक्षा के पोर्टल educationportal.uk.gov.in से अपने सेवा विवरण का print निकाल कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

4– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के आवेदन पत्र अनिवार्यतः निर्धारित समायान्तर्गत, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों / प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को अपने कार्यरत् कार्यालय / विद्यालय के विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तथा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों द्वारा अपने कार्यरत् विद्यालय के विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

5– स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–13 के अन्त में अंकित टिप्पणी के अनुसार भरे हुए पदों / कार्यस्थलों के लिए अनुरोध अनुमन्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर कार्मिक :

नाम :

पदनाम : विषय :

संस्थाध्यक्ष की संस्तुति

(हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

(कार्यालय की मुहर)

Scanned by CamScanner